

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(2)राज/वाद/12 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 7-6-2022

आदेश:

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.22 द्वारा राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश सं07) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01, डीग जिला भरतपुर का नाम परिवर्तित करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीग जिला भरतपुर नियत किया है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 23.05.21 के क्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, सं01, डीग जिला भरतपुर में राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अपर लोक अभियोजक सं01, डीग जिला भरतपुर का नाम परिवर्तित करते हुए अपर लोक अभियोजक, डीग जिला भरतपुर किया जाता है।

आज्ञा से

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- 4 जिल्ला सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 6 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01 डीग, भरतपुर।
- 7 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
- 9 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 10 संबंधित कार्यालय।
- 11 सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 12 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि